

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित  
निम्नदाब विद्युत कनेक्शन के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन सह अनुबंध पत्र**

स्व हस्ताक्षरित  
पासपोर्ट साईज  
फोटो

प्रति,  
सहायक / कनिष्ठ अभियंता,  
छ.रा.वि.वि.कं.मर्या.

**महोदय**

मैं बी.पी.कमांक \_\_\_\_\_ के उपभोक्ता का नाम परिवर्तन करना चाहता हूँ जिसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

1. वर्तमान उपभोक्ता का नाम
2. प्रस्तावित उपभोक्ता का नाम
3. नाम परिवर्तन का कारण
4. आवेदक / संस्थान का नाम
5. पिता / पति / निदेशक / हिस्सेदार / द्रस्टी का नाम
6. परिसर का पता (जहां कनेक्शन के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन किया जा रहा है) :-  
मकान / प्लाट / परिसर कमांक \_\_\_\_\_ सड़क / क्षेत्र / कॉलोनी \_\_\_\_\_  
कस्बा / शहर / गांव \_\_\_\_\_ विकास खण्ड \_\_\_\_\_  
जिला \_\_\_\_\_ मोबाईल नंबर \_\_\_\_\_  
ई-मेल (यदि उपलब्ध है तो \_\_\_\_\_) आधार कार्ड कं. (यदि उपलब्ध है तो \_\_\_\_\_)

वर्तमान स्थायी कनेक्शन क. (बी.पी.नंबर) जिसका नाम परिवर्तन किया जाना है \_\_\_\_\_

7. आवेदक का स्थाई पता, यदि कमांक-6 से पृथक हो तो  
मकान / प्लाट / परिसर कमांक \_\_\_\_\_ सड़क / क्षेत्र / कॉलोनी \_\_\_\_\_  
कस्बा / शहर / गांव \_\_\_\_\_ विकास खण्ड \_\_\_\_\_  
जिला \_\_\_\_\_
8. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी की कोई बकाया राशि शेष है ? हॉ / नहीं
9. क्या स्थल—जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है, पर कोई बकाया राशि शेष है ? हॉ / नहीं
10. उपरोक्त परिसर (जो लागू हो ✓ का निशान लगावें )
  - अ.  मेरे स्वामित्व अधिकार में है जिसके दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है ।
  - ब.  मेरे द्वारा किराये पर लिया गया है एवं परिसर स्वामी का अनापत्ति पत्र संलग्न है ।
11. उपरोक्त आवेदन के आधार पर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से निम्न बिंदु पर मैं/हम सहमत हैं :-
  - क. उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं अन्यथा की स्थिति में विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी रहेगी ।
  - ख. यह कि उपभोक्ता द्वारा विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए वितरण कंपनी को प्रत्येक माह ऐसे विद्युत एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि अनुबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए समय—समय पर आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे । इन प्रभारों में परिवर्तनीय ईंधन मूल्य, समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगे ।
  - ग. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय—समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा ।
  - घ. यह कि उपभोक्ता परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशि / संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमति देता है कि वितरण कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि को उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हों, में स्थानान्तरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा ।
  - ड. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नहीं करेगा ।

- च. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में वितरण कंपनी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को मीटर वाचन, निरीक्षण, जांच संधारण एवं परीक्षण आदि हेतु निर्बाध प्रवेश देगा ।
- छ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपयोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराये पर देने का कार्य नहीं करेगा ।
- ज. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदाय संहिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों में समय—समय पर किये गये संशोधनों के अंतर्गत ही विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालन करेगा । अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्हीं के यथा संदर्भानुसार की जावेगी ।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

आवेदक ने हस्ताक्षर किये

(नाम व पता)

1) गवाह :—

2) गवाह :—

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक .....  
.....

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने

प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किये

(नाम व पता)

1) गवाह :—

2) गवाह :—

विद्युत वितरण कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर  
दिनांक .....  
.....